न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

प्रेम प्रकाश बनाम लाला

किस्म मुकदमा 223 मु.नं0 56 वर्ष 2018

20-6-18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों की सुनी गई । संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट सख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत मे दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एव प्रतिवादी स0 2 से 6 के पिता व प्रतिवादीया स0-1 के पति स्व0 अमरसिह पुत्र धीसाराम यागोड तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा का रहने वाला था । उक्त अमरसिह ने सन् 1983 मे आराजी गत ख0न0 219 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, गत ख0न0 233 रकबा 39 बीघा	[illegible] से 10 की और से अपील स्वीकार करने मे [illegible] अपील [illegible] स्वीकार कर ली जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12 बिस्वा वाके ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ मे से 1/4 हक हिस्सा व 1/4 हक हिस्सा उम्मेदसिंह नामक व्यक्ति का था। जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। स्व0 अमरसिंह 1/4 हिस्से का क्रेता था । स्व0 अमरसिंहकी आराजी में वादीगण व प्रतिवादी सं0-2 से 6 के पिता के पिता व प्रतिवादी सं0-1 के 0000 पति अमरसिंह ने 1/4 हिस्सा क्रय किया था जिसका दौराने सैटलमेन्ट हाल ख0नं0 266 रकबा 5.96 हैक्टर बने। उक्त विवादित आराजी ग्राम कासनी में स्थित है । उक्त आराजी में अमरसिंह का कुल 1/2 हक हिस्सा रहा जिस पर वह अपने बिदव जीवन काल में काबिज काश्त रहा जो उसकी स्वअर्जित आराजी थी । अमरसिंह का स्वर्गवास सन् 1988 में हो गया जिसके वारीसों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-5 व 6 पुत्रिया व प्रतिवादी सं0-2 से 4 पुत्र एवं प्रतिवादी सं0-1 पत्नी है। जिनका अमरसिंह की आराजी में बराबर बराबर हक हिस्सा है जो 1/8, 1/8 प्रत्येक का है और इसी अनुसार वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है। अदालत मातहत ने वादीगण दावा स्वीकार कर वादीगण को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-5 व 6 को 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । इस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । प्रतिवादी सं0-1 से 4 ने विवादित भूमि सम्पूर्ण का पहले ही विक्रय कर दिया । जिसमें उन्होने 1/2 हिस्सा भूमि का अधिक बैचान कर दिया । कानून से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 ने उक्त जमीन को जब बैच दिया उसके बाद अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 को पुनः 00 से गलत रूप से खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 तथा 7 व 8 प्रत्येक को 1/8 हक हिस्से का

एवं रेस्पोडेन्ट स0-9 व 10 के नाम से दर्ज करनी चाहिये थी। तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट स0-9 व 10 के नाम से 1/2 हिस्से की जमीन कम कर अमरसिंह की चारों पुत्रियों के नाम दर्ज करनी चाहिये थी । रेस्पोडेन्ट स0 -3 से 6 ने विक्रय पत्र से आराजी का विक्रय किया है उस विक्रय पत्र को 1/2 हिस्से तक शुन्य घोषित किया जाकर आदेश पारित करना चाहिये था अदालत मातहत ने विक्रय पत्र की सम्पूर्ण आराजी को ही पुन: खातेदारों के नाम दर्ज करने मे कानूनी भूल की है ।अत: अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर आराजी ख0न0 266 रकबा 5.96 हैक्टर ग्राम कासनी तहसील सुरजगढ मे से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स0-1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट स0- 7 से 10 को निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जावे:-

1- अपीलान्ट स0-1 व 2 को संयुक्त रूप से -0.435 हैक्टर

2- रेस्पोडेन्ट स0-1, 2 तथा 7 व 8 प्रत्येक को 1/4 हक हिस्सा की दर से
हिस्सा 2.98 हैक्टर

3- रेस्पोडेन्ट स0- 9 व 10 को सयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 2.545 हैक्टर

उक्तानुसार अपील स्वीकार की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट स0 1 से 10 ने अपील को स्वीकार किये जाने मे कोई ऐतराज नही किया है । जिसके हस्ताक्षर आदेशिका पर किये है ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायहित मे राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से पक्षकारो के मध्य आपसी सहमति से अपील का निर्णय किये जाने से पक्षकारो मे आपसी सोहार्द का माहोल रहेगा तथा भविष्य में भी

तथा विवादित आराजी स्व0 अमरसिंह की खातेदारी भूमि रही है जो उसके वारिसान के नाम पर ही दर्ज की गई है तथा स्व0 अमरसिंह के तीनो पुत्रों एवं पत्नी ने इस आराजी का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या-9 व 10 को जरिये रजिस्टर्ड विक्र य पत्र कर दिया किन्तु योग्य अदालत मातहत ने विक्रेताओं को वापस खातेदार घोषित कर दिया जबकि कानूनन उन्होने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया है तो उस हिस्से तक ही आराजी को वादीगण को दी जानी चाहिये थी यहां पर योग्य अदालत मातहत ने विक्रेताओं को भी उनका हिस्सा वापस देकर खातेदार घोषित कर दिया ।इस कारण विद्वान अभिभाषकगण ने आपसी सहमति से अदालत मातहत में रही त्रुटि को दुरूस्त करने की सहमति दर्ज की है ।जिसके आधार पर हम लोक अदालत की भावना से अपील को स्वीकार किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13-10-2017 को खारिज किया जाता है तथा आराजी ख0नं0 266 रकबा 5.96 हैक्टर ग्राम कासली में अपीलान्ट सं0-1 व 2 प्रत्येक को 0.435 हैक्टर का, रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 तथा 7 व 8 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से की तर हिस्सा 2.98 हैक्टर, रेस्पोडेन्ट संख्या-9 व 10 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 2.545 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । इसे डिक्री माना जावे ।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया । 20/8/18

(भंवरलाल मेहरदा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर